भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1934

दिनांक 14.3.2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिहाड़ी कर्मचारी

†1934. डॉ0 उदित राज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम के कार्यरत दिहाड़ी कर्मचारी को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है और ऐसे कर्मचारियों को कब तक स्थायी दर्जा दिये जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) और (ख): दिल्ली के सभी तीन नगर निगमों ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दिहाड़ी कर्मचारियों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया है। सभी तीन निगमों के पास कथित रूप से पूर्ववर्ती निगम द्वारा अपने दिनांक 27.06.1988 के संकल्प सं. 273 के तहत पारित संकल्प के अनुसरण में दिहाड़ी कर्मचारियों को चरणबद्ध ढंग से नियमित करने संबंधी अपनी स्वयं की नीति है।

****